न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-458RAAJodhpur2024-265RTA225 Kanaram ors Vs Gopalsingh etc

01. कानाराम पुत्र श्री भेराराम
02. भागुराम पुत्र श्री भेराराम
03. भारमलरास पुत्र श्री भेराराम
04. राजुराम पुत्र श्री भेराराम
05. श्रीराम पुत्र श्री भेराराम
06. बुधाराम पुत्र श्री गोपाराम
सभी जातियान् विश्नोई निवासीगण ग्राम उम्मेद नगर तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. गोपालसिह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी पल्ली तहसील लोहावट जिला जोधपुर ग्रामीण।

आवेदक ।

2. छीनाराम पुत्र श्री भीखाराम फौत के कायम मुकामः -
2.1. नाथाराम पुत्र स्व. श्री छीनाराम
2.2. श्रीराम पुत्र स्व. श्री छीनाराम
2.3. सीता पुत्री स्व श्री छीनाराम
3. लालाराम पुत्र श्री भीखाराम फौत के कायम मुकाम-
3.1. धमेन्द्र पुत्र स्व. श्री लालाराम
3.2. शांती पत्नी स्व. श्री लालाराम
4. नारायणराम पुत्र श्री भीखाराम फौत के कायम मुकामः -
4.1. श्यामलाल पुत्र स्व. श्री नारायणराम
4.2. सुखी पत्नि स्व. श्री नारायणराम
5. तेजाराम पुत्र श्री भीखाराम फौत के कायम मुकाम-
5.1. भवरलाल पुत्र स्व. श्री तेजाराम
5.2. श्रवण पुत्र स्व. श्री तेजाराम
5.3. रामनिवास पुत्र स्व. श्री तेजाराम
5.4. नैनाराम पुत्र स्व. श्री तेजाराम
6. रामुराम पुत्र श्री भीखाराम
7. भागीरथ पुत्र श्री पूनाराम
8. सहीराम पुत्र श्री पूनाराम
9. मोहनी बेवा श्री पूनाराम
सभी जाति विश्नोई निवासी ग्राम उम्मेद नगर, तहसील तिवरी जिला जोधपुर ग्रामीण।
10. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार तिवरी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 115/2014 गोपालसिंह बनाम बुधाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 10
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 11 फरवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 115/2014 गोपालसिंह बनाम बुधाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 404 रकबा 57.13 बीघा ग्राम उम्मेदनगर तहसील तिंवरी में आवागमन हेतु अपीलांट्स व अन्य रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 395/1, 395/2 व 393 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क ए से बी 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा मौके पर अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जून 2016 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष अपील संख्या 93/2016 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 22 फरवरी 2021 को स्वीकार की जाकर मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हुए उभय पक्षकारान् को सुनकर पुनः निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण को अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के जरिये स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ड्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में प्रदत निर्देशों की पालना में अपीलांट्स को सुनवाई व सुचना का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है जो अपास्त योगय है। अपीलाधीन कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी छिनाराम, लालाराम, नारायणराम, तेजाराम का देहान्त हो चुका था, जिनके विधिक प्रतिनिधियों को पत्रावली पर लेने की कार्यवाही नहीं की गई है। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वतः ही उपशमन हो गया था तथा अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्तियों के विरुद्ध पारित होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने मौका फर्द दिनांक 08.01.2016 को अपने आदेश दिनांक 27.06.2016 द्वारा उचित नही माना है तथा मान्यवर अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त फर्द के आधार पर रास्ता देने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस प्रकार उक्त अस्वीकार की हुई मौका फर्द दिनाक 08.01.2016 के आधार पर अपीलाधीन आदेश न्याय नियम के विरुद्ध पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पो. संख्या 01 के खेत के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना मानने में भारी भूल की गई है, जबकि उसके खेत के लिए वैकल्पिक रास्ता उसके खेत के दुसरी तरफ चलता है, जहॉ से वह आवागमन कर रहा है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विद्वान उपखंड

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकारी के समक्ष वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कोई साक्ष्य सबुत भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। विद्वान विचारण न्यायालय ने कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करने में गंभीर मूल की है जो आदेश विधि एवं न्याय के अनिवार्य प्रावधानों के खिलाफ होने एवं अपीलार्थीगण के अधिकारो पर कुठाराघात करने वाला होने से निरस्त किये जाने के योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68, 69 व 70 के उप नियम 1 (1) के अनिवार्य प्रावधानो की कोई पालना नही की है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने के योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण की गैर हाजरी में नोटिस दिये बिना पारित किया गया है, जिसकी अपीलार्थीगण को कोई जानकारी नहीं हुई। अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.10.2024 को पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण की भुमि से प्रत्यर्थी संख्या 01 को रास्ता देने का आदेश उसके पास आने का बताया तथा आदेश की पालना में भूमि की प्रतिकर राशि का चैक वितरण करने के लिए उसके पास आने की बात गांव में बताई तब हुई। इसके पश्चात अपीलार्थीगण ओसिया जाकर दिनाक 23.10.2024 को नकल लेने के लिए आवेदन किया, जिस पर नकल उसी दिन दी गई, जिसको ले जाकर अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता को दी। अधिवक्ता ने उसको पढकर सुनाया, तब अपीलाधीन आदेश की पूर्ण जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा यह अपील पहली बार जानकारी से अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है तथा अपील को प्रस्तुत करने में कोई जानबूजकर कोई देरी नहीं की है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को अपास्त फरमाया जावे। वकील अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2012(1)डब्ल्यू.एल.एन.606(राज) की न्यायिक नजीर पेश की।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है तथा मौके पर अपीलाधीन रास्ता वर्ष 2014 से आज दिनांक तक चालू है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण में दिनांक 25.07.2022 को नोटिस भेजने का आदेश दिया था। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट्स को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से नोटिस भिजवाकर दिनांक 01.08.2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष पोस्टल रसीदे पेश कर दी। अपीलांट्स के विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध दिनांक 10.10.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। विचारण न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई तथा नियमानुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा बावजूद जानकारी अत्यंत विलंब से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है तथा विलंब का कोई सद्भाविक कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एव म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि अदालत हाजा द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2022 को पुनः संस्थित किया जाकर कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की गई तथा दिनांक 25.07.2022 को प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. सम्मन से तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। विचारण न्यायालय द्वारा पोस्टल रसीदात के आधार पर दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को अपीलांट्स/अपार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए उसी दिन प्रार्थी को सुनकर एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा द्वारा प्रदत निर्देशों तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68, 69 व 70 के उप नियम 1 (1) के अनिवार्य प्रावधानो की पालना में पुनः मौका फर्द तलब किये जाने के कोई निर्देश नहीं दिये गये है, किंतु विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ट संख्या 63 पर मौका फर्द उपलब्ध है, जिस पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत2012(1)डब्ल्यू.एल.एन.606(राज) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने धारित किया है कि मौका कमिश्नर पक्षकारान् को सूचित करने के बाद उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करे, किंतु हस्तगत मामले में मौका कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में धारित मत एवं विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अदालत हाजा द्वारा प्रदत निर्देशों की पालना की पालना में रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता एवं मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों की जांच किये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में मृतक अप्रार्थीगण के छीनाराम, नारायणराम लालाराम एवं तेजाराम के कायम मुकाम की भी कार्यवाही नहीं की जाकर मृत व्यक्तियो के विरुद्ध आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि-विरुद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार उभय पक्ष की उपस्थिति में मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पों की जांच कर मौका रिपोर्ट तलब करे। मौका फर्द पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार मामले का अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27 फरवरी 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर